न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 44/2016

1 चाना उम्र 62 वर्ष पुत्री मांगू पत्नी कासम खां जाति काजी मुसलमान निवासी ग्राम नेछवा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 इस्लामुदीन पुत्र जोरावर जाति काजी निवासी ग्राम अलखपुरा बोगन तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
2 खातीजा पुत्री जोरावर पत्नी सत्तार जाति मुसलमान काजी निवासी वार्ड नं. 09 काजी कॉलोनी ग्राम डूण्डलोद तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।
3 रजिया पुत्री जोरावर पत्नी युसुफ जाति काजी मुसलमान निवासी वार्ड नं. 44 जगमालपुरा फाटक के पास सीकर तहसील व जिला सीकर।
4 तैयब हुसैन पुत्र इब्राहिम।
5 सतार पुत्र इब्राहिम।
6 खलील पुत्र इब्राहिम समस्त जाति मुसलमान निवासीगण वार्ड नं. 09 काजी कॉलोनी ग्राम डूण्डलोद जिला झुंझुनू।
7 नवाब पुत्र यासीन।
7/1 ताहिर पुत्र नवाब।
7/2 आरिफ पुत्र नवाब।
7/3 रसीदा पुत्री नवाब।
7/4 रूखसार पुत्री नवाब।
7/5 शाहीमन पुत्री नवाब समस्त जाति मुसलमान निवासीगण नेछवा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
8 साबू पुत्र सफी।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

9 खुर्शीदा बानो पत्नी अहमद।
10 जलील पुत्र अली।
11 रफीक पुत्र छोटू।
12 फिरोज पुत्र छोटू समस्त जाति काजी निवासीगण मुसलमान निवासीगण ग्राम नेछवा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
13 हल्का पटवारी ग्राम नेछवा पटवार हल्का नेछवा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
14 राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
15 उप पंजियक लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 223 आर.टी.एक्ट 1955 विरूद्व डिकी एवं निर्णय दिनांक 12.04.2016 न्यायालय सहायक कलेक्टर लक्ष्मणगढ़ पीठासीन अधिकारी श्री संतोष कुमार मीणा आर.ए.एस. मुकदमा नम्बर 170/2011 बी.टी. नम्बर 121/2013 बउनवानी राबिया बनाम चाना आदि दावा बाबत उद्घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :

1. श्री प्रभातीलाल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री सांवरमल, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

दिनांकः–27.8.21

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर लक्ष्मणगढ़ द्वारा मुकदमा संख्या 170/2011 में पारित निर्णय दिनांक 12.04.2016 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी राबिया/रेस्पोडेंट संख्या 1 से 3 की और से धारा 88,188 का दावा बाबत भूमि खसरा नम्बर 130,177/2,367 वाके ग्राम नेछवा में वादिया को 1/12 का खातेदार काश्तकार विरासत के आधार पर घोषित करने हेतु प्रस्तुत किया विचारण न्यायालय ने उभयपक्ष को सुनकर विचाराधीन निर्णय से वाद वादी डिक्री किया है। इससे व्यथित होकर इस न्यायालय में प्रतिवादी चाना की ओर से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष ने दिनांक 02.07.2021 को इस न्यायालय के समक्ष राजीनामा प्रस्तुत किया। इस न्यायालय द्वारा राजीनाम तस्दीक किया गया। राजीनामे में निवेदन किया गया है कि मुताबिक राजीनामा अपील को स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री को अपास्त किया जावें। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट द्वारा अपने कथनों के समर्थन में डी.एन.जे. (एस.सी.) 2011 पेज 623, डी.एन.जे. (एस.सी.) 2013 पेज 70, डी.एन.जे. 2011(1) पेज 333,आर.एल.डब्ल्यू 1993 (1) के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय के समक्ष वादी रेस्पोडेंट द्वारा विवादित भूमि में विरासतन हक के आधार पर खातेदारी चाही गई थी। विचारण न्यायालय द्वारा उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों का विवेचन करने के उपरान्त विचाराधीन निर्णय व डिक्री पारित कर वाद वादी डिक्री

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

किया गया है। दौराने अपील पक्षकारों ने राजीनामा प्रस्तुत किया है। यह राजीनामा इस न्यायालय द्वारा तस्दीक किया जा चुका है।

जहां तक राजीनामे के आधार पर विचाराधीन निर्णय व डिक्री अपास्त किये जाने का प्रश्न है प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकारों ने लोकअदालत की भावना से राजीनामा कर लिया है अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो की रोशनी में अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 27.08.21 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर